टंकक/आरो/सहकारिता-1
08/6/10

संख्या-507 स/26-व0प्र0-2009-500(89)/2003

जारी
11.6.10

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,उ0प्र0,
लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण — लखनऊः दिनांकः 11 जून, 2010

विषयः— अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष घटक योजना)-प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों की अंशपूँजी में धन लगाने हेतु अनुदान (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-193/अधि0/1-9/2010-11 दिनांक 15.04.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये-50,000-00 (रूपये-पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2— उपरोक्त अनुदान की धनराशि संबंधित जिलों को प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-913/35-आ-2/2009-46, दिनांक 13 जनवरी,2010 में जारी किये गये निर्देशों/जनपदों की वर्ष 2010-11 की जिला योजनाओं के लिये आबंटित परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुए अवमुक्त की जाय ।

3— उपरोक्त स्वीकृत अनुदान के उपयोग आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0- 235अ/26- ब0प्र0- 206-500(89)/2003, दिनांक 17.4.2006 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

4— विभाग का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के व्यय हेतु एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5— शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 08 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

6— उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2425-सहकारिता-आयोजनागत-796-जन जातीय क्षेत्र उप योजना-03-प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों की अंश पूँजी में धन लगाने हेतु अनुदान -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा ।

--2--

7— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—3—1009(1)/दस—2010 दिनांक 07 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या—507 सं (1)/26—ब0प्र0—2010—तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3— प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4— मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0, लखनऊ ।
6— वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—4/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3
7— कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव ।

33